न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी – श्री राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)
प्रार्थना पत्र संख्या – 05/2020
दायरा दिनांक –26/02/2020
निर्णय दिनांक 19/2/21

उनवान

1. प्रहलाद पुत्र नारायण जाति माली निवासी बिसालू तह0 बानसूर जिला अलवर राज0

-- प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार बानसूर बहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील बानसूर जिला अलवर राज0

-- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू0 राजस्व अधि0

उपस्थित अधिवक्तागण :-
1. प्रार्थी – श्री गोपाल सैनी एड0
2. अप्रार्थी– पैरोकार सरकार

–:निर्णय:–

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश मेरे समक्ष पेश हुई। पत्रावली के सुक्ष्म तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0 राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा न0 1595 रकबा 0.42 है0 साबिक खसरा नं0 1250 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा , 1597 रकबा 0.15 साबिक ख0न0 1252 रकबा 12 बिस्वा , 1601 रकबा 0.26 है0 साबिक ख0न0 1256 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा , 1604 रकबा 0.34 है0 साबिक ख0न0 1259 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 1608 रकबा रकबा 0.13 है0 साबिक ख0न0 1263 रकबा 10 बिस्वा , 1610 रकबा 0.15 है0 साबिक ख0न0 1265 रकबा 10 बिस्वा , 1612 रकबा 0.44 साबिक ख0न0 1267 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा रकबा, 1613 रकबा 0.19 है0 साबिक खसरा नं0 1268 रकबा 15 बिस्वा वाकै मौका बानसूर तह0 बानसूर दौराने बन्दोबस्त सं0 2060 से बने है। जो कि प्रार्थी की बुजुर्गानी कब्जे कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी रही है। विवादित आराजी में प्रार्थी के मृतक पिता नारायण पुत्र छीता की विरासत का इन्तकाल सं0 395 में प्रार्थी का सही नाम दर्ज करके राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सं0 2038 के खाता सं0 459 में इंतकाल का नोट सही अंकित किया गया था। जमाबंदी सं0 2047-2050 के खाता सं0 457 में भी प्रार्थी का नाम सही दर्ज था। लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने अपने क्षेत्र से बाहर जाकर बिना हक व अधिकार के जमाबंदी सं0 2051-54 बनाते समय विवादित आराजी में प्रार्थी का सही नाम प्रहलाद पुत्र नारायण के बजाय प्रभाती पुत्र नारायण गलत दर्ज कर दिया जिसकी पुर्नावृति आज दिन तक राजस्व रिकॉर्ड में चली आ रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.04.06 15:11:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

Scanned with CamScanner

जिसके कारण प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन हो रहा है । प्रार्थी का प्रा0पत्र0 स्वीकार किया जाकर मुताबिक साबिक रिकार्ड जमाबंदी सं0 2038 व 2047 - 2050 व विरासत नामान्तकरण सं0 395 के अनुसार प्रार्थी का सही नाम प्रहलाद पुत्र नारायण किये जाने के आदेश फरमावें जावे।

प्रकरण दर्ज पंजिका किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया । सरकार पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि मुताबिक साबिक रिकॉर्ड प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जाता है तो राज्य सरकार के हितों पर किसी प्रकार का कोई विपरीत प्रभाव नही पडेगा।

बहस सुनी गई। प्रकरण का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया । विवादित आराजी प्रार्थी के बुजुर्गानी कब्जेकाश्त खातेदारी की भूमि रही है। प्रार्थी के पिता नारायण पुत्र छीता की मृत्यू उपरांत खोले गये विरासत नामांतकरण सं0 395 वाकै मौजा उनके पुत्रों सरदारा, प्रहलाद, मौजी, धूडा, मातादीन पुत्र नारायण के हक में सही स्वीकार किया गया तथा जमाबंदी सं0 2038 में भी नामान्तकरण अनुसार सही अंकन किया गया। जिसका आगे अंकन जमाबंदी सं0 2047-50 में सही दर्ज रहा परन्तु जमाबंदी सं0 2051-54 बनाते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी का नाम प्रहलाद के स्थान पर प्रभात दर्ज कर दिया गया। जो कि काबिल शुद्धी है। उक्त गलत नाम का अंकन आज दिन भी चला आ रहा है। जबकि राजस्व कार्मिकों को साबिक रिकॉर्ड जमाबंदी सं02038 व सं0 2047-2050 के अनुसार सही नाम का अंकन लगातार करना चाहिये था। उक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रा0पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

-:आदेश:-

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार कर हाल जमाबंदी के खाता सं0 864 के हाल आराजी खसरा न0 1595 रकबा 0.42 है0 , 1597 रकबा 0.15 है0, 1601 रकबा 0.26 है0, 1604 रकबा 0.34 है0, 1608 रकबा 0.13 है0, 1610 रकबा 0.15 है0, 1612 रकबा 0.44 है0, रकबा 1613 रकबा 0.19 है0 वाकै मौजा बानसूर में दर्ज प्रार्थी का नाम प्रभात पुत्र नारायण के स्थान पर प्रहलाद पुत्र नारायण शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बानसूर को अहकाम जारी हो। शेष इन्द्राज यथावत रहेगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.04.06 15:11:19 IST
Reason: SelfAttested

आज दिनांक 10.2.21 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

Scanned with CamScanner